

रा. प्रशासन रखते हैं। पत्रावली 19  
का भर है।

15.9.21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान  
2021 के तहत केम कोर्ट में दिनांक 4.10.21  
को पेश है।

4.10.21


पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान  
2021 के तहत केम कोर्ट सुवानिया में  
पेश हुई। ग्रामी एवं अग्रार्थिगण सं. 1, 3, 5  
6, 7 व 8 को नोटिस बाद तामील संलग्न हैं।  
ग्रामी की ओर से उनके पुत्र के लारा उपस्थित  
हैं अग्रार्थिगण बावपूड सूचना के  
उपस्थित नहीं हैं। प्रार्थना पत्र 1.2. पर  
बहस हुनी गयी। ग्रामी ने निवेदन किया  
कि अग्रार्थिगण सं. 1 लगायत 6 ग्रामी  
के पडोसी काश्तकार हैं लेकिन ग्रामी  
गरीब वृद्ध व निर्बल व्यक्ति होने के  
कारण अग्रार्थिगण ग्रामी की भूमि पर  
कब्जा करने और लडाई शरणा करने पर  
इतार हो गए। अतः अग्रार्थिगण को ग्रामी  
के खातेदारी आधिपत्य की भूमि पर  
शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में कोई परेशानी  
या बाधा न जले इस आशय की अग्रार्थि  
निषेधाज्ञा से अग्रार्थिगण को पाबंद किया  
जावे।  
अपने जवाब में अग्रार्थिगण ने निवेदन  
किया है कि वादग्रस्त भूमियां एवं अग्रार्थिगण



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

के खते व कब्जे की भूमियां पास-पास  
 हैं, इस कारण प्राचीं अये दिन प्रतापीगों  
 के खते व कब्जे की जमीन की जमीन  
 पर जबरन कब्जा करने को तत्पर रहता  
 है तथा झूठा प्राचीना पत्र भी प्राचीं  
 ने इसीलिए पेश किया है अतः प्राचीं का  
 प्राचीना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने प्राचीना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत  
 रिमांड दस्तावेज, जवाब प्राचीना पत्र आदि  
 का अवलोकन किया। बहस सुनी गई।  
 प्राचीं का प्राचीना पत्र खारिज किया  
 जाता है निर्णय सुनाया गया। पत्रावली  
 फेसलशुमार होकर बाद तम्मील सूक्त  
 वाद के साथ संलग्न रहे।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नैनवाँ (बुन्दी)